भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1649
जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है।
8 श्रावण, 1947 (शक)

नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के उपाय

1649. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः

क्या इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की जुलाई 2025 तक स्थिति और इसके अधिसूचित होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;

(ख) सरकार मासिक आधार पर 1.4 बिलियन डिजिटल लेनदेन के होते हुए डेटा गोपनीयता को डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के साथ किस प्रकार संतुलित करती है;

(ग) 2024 में 1,200 से अधिक साइबर घटनाओं की सूचना के साथ नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) व्यवसायों पर डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं के आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 2025 में डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (**ङ**): डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) 11 अगस्त, 2023 को अधिनियमित किया गया है। यह डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण हेतु एक तंत्र स्थापित करता है, जो व्यक्तियों के अपने डेटा की सुरक्षा के अधिकारों और वैध डेटा प्रसंस्करण की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 (नियम) का मसौदा, जो इस अधिनियम को लागू करने का प्रयास करता है, सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया है। डीपीडीपी अधिनियम और मसौदा नियम मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। डीपीडीपी अधिनियम के लागू होने तक, आईटी अधिनियम की धारा 43ए के प्रावधान, सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा पद्धतियाँ एवं प्रक्रियाएँ और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011 के साथ, संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना की सुरक्षा के लिए लागू होते रहेंगे।

सरकार ने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा मानकों को बढ़ाने, डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। सरकार साइबर खतरों और चुनौतियों के प्रति सजग और सतर्क है। देश में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i . सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत की भागीदारी से, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अपनी तकनीकी समितियों के माध्यम से साइबर सुरक्षा मानक तैयार करता है। ये समितियाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग (आईईसी) की संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समितियों के लिए राष्ट्रीय दर्पण समितियों के रूप में भी कार्य करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण प्रयासों में भारत की सक्रिय भूमिका वैश्विक भागीदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देती है, उभरते विकासों की प्रारंभिक जानकारी प्रदान करती है, विकसित हो रही सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ समन्वय को बढ़ावा देती है, और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ बनाती है।

ii. भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70बी के प्रावधानों के अंतर्गत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

iii. सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 70ए के प्रावधानों के अंतर्गत देश में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) की स्थापना की है।

iv. सर्ट-इन साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में शामिल अन्य एजेंसियों के साथ काम करता है, जिनमें दूरसंचार सुरक्षा परिचालन केंद्र (टीएसओसी), भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) आदि शामिल हैं।

v. सर्ट-इन अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर जी20 शिखर सम्मेलन, संसद 20 शिखर सम्मेलन, राम जन्मभूमि कार्यक्रम, महाकुंभ आदि के दौरान साइबर हमलों को सफलतापूर्वक रोकने में सक्षम रहा।

vi साइबर सुरक्षा पेशेवरों, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) और सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं ।

vii. सर्ट-इन सक्रिय खतरे के शमन के लिए विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों के साथ अनुकूलित अलर्ट साझा करने के लिए एक स्वचालित साइबर खतरा आसूचना विनिमय मंच संचालित करता है।

viii. साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल नियमित रूप से आयोजित की जाती है ताकि सरकारी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठनों की साइबर सुरक्षा स्थिति और तैयारियों का आकलन किया जा सके।

ix. साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके) सर्ट-इन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक नागरिक-केंद्रित सेवा है, जो स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को साइबर स्पेस तक पहुँचाती है। साइबर स्वच्छता केंद्र एक बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र है जो दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामों का पता लगाने में मदद करता है और उन्हें हटाने के लिए निःशुल्क टूल प्रदान करता है, साथ ही नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा सुझाव और सर्वोत्तम अभ्यास भी प्रदान करता है ।

x. सर्ट-इन ने सभी मंत्रालयों/केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और उनके संगठनों तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन के लिए साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार की है।

xi. सर्ट-इन ने सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन का समर्थन और लेखा परीक्षा करने के लिए 200 सुरक्षा लेखा परीक्षा संगठनों को सूचीबद्ध किया है।

xii. बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में साइबर घटना प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए सर्ट-इन के अंतर्गत वित्त क्षेत्र में कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल (सीएसआईआरटी-फिन) मई 2020 से कार्यरत है।

xiii. माईटी हर साल अक्टूबर के दौरान साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएएसएम), हर साल फरवरी के दूसरे मंगलवार को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, स्वच्छता दिवस और अन्य कार्यक्रमों के दौरान जागरूकता अभियान चलाता है। प्रत्येक वर्ष 1 से 15 फरवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा और प्रत्येक माह के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस (सीजेडी) के रूप में नागरिकों के साथ-साथ भारत में तकनीकी साइबर समुदाय के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जैसे कुछ क्षेत्रीय नियामकों ने भारत के भीतर कुछ डेटा संग्रहीत करने के लिए मानदंड लागू किए हैं। इन मानदंडों के प्रभाव आकलन, यदि कोई हों, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझा नहीं किए गए हैं।

भारत सरकार ने 2025 तक डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

******